अपील प्रकरण क्रमांक ए/2007/2013

25/09/2014

प्रकरण वी0सी0 में प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री संतोष सिंह ठाकुर उपस्थित। उत्तरवादी श्री कोमलदास कोशले, सचिव उपस्थित। उत्तरवादी ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा जिस प्रवेश द्वार के संबंध में जानकारी चाही गई है वह ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं है क्योंकि प्रवेश द्वार का निर्माण अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से कराया गया है तथा इसके संबंध में कोई अभिलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इसलिए वांछित जानकारी दिये जाने का आदेश देना संभव नहीं है। इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील नं. 6454/2011, एस.एल.पी.नं. 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन एवं अन्य विरूद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य में पारित आदेश से भी होती है। जिसमें पाया गया है कि केवल रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी देना ही अपेक्षित है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पाते हुए कि वांछित जानकारी उत्तरवादी के कार्यालय से संबंधित ही नहीं है एवं अग्रिम कोई कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती, अपील अस्वीकार कर निराकृत की जाती है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त